

Ref. No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174
Date : 10/04/2023

National Stock Exchange of India Ltd. Listing Deptt., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 NSE Scrip: UNOMINDA	BSE Ltd. Regd. Office: Floor - 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. BSE Scrip: UNOMINDA, 532539
---	--

Sub: - Submission of Newspapers Clippings

Dear Sirs,


This is in continuation of our communication dated 10 April, 2023.

Enclosed please find the newspaper clippings, regarding the NCLT convened meetings notice published in "Business Standard" newspapers in its English and Hindi edition(s) on 10 April, 2023, in the matter of the scheme of amalgamation of amalgamation of Minda iConnect Private Limited (Transferor Company) with Uno Minda Limited (Transferee Company).

This is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Uno Minda Limited


Tarun Kumar Srivastava
Company Secretary & Compliance Officer



Encl : As above.

सार्वजनिक सूचना

कंपनी मेसर्स एमवीए इन्व्हेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती न्यू वर्कन इलेक्ट्रो कंट्रोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम में पंजीकरण का मूल एनबीएफसी प्रमाणपत्र (CoR No. B-14-02821 दिनांकित 21 जून, 2004) कंपनी के कार्यालय स्थानांतरण के दौरान कहीं खो गया है। संबंधित पुलिस थाने में एलआर नं.: 322523/2023 दिनांकित 08 अप्रैल, 2023 द्वारा शिकायत दर्ज की गई है। किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रमाणपत्र मिले तो कृपया निम्नलिखित पते पर लौटा दें। पाने वाले यहाँ संपर्क कर सकते हैं: एमवीए इन्व्हेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बिल्डिंग नं. 10, डीडीए कमिश्नरिज कॉम्प्लेक्स, नागल राया, नई दिल्ली-110046 मोबाइल नं. 9015776155 (श्री विवेक) एतद्वारा कंपनी अनैतिक तत्वों द्वारा प्रमाणपत्र के दुरुपयोग के प्रति सख्त सावधान को आगाह करती है।

NIRYAT-SAM APPARELS INDIA LIMITED

CIN: U74899DL1994PLC0570566

Registered Office: A-6, Connaught Place, New Delhi-110001

Tel.:+91-11-23324245, 23324509

Email: accounts@siddhomalgroup.com, Website: www.siddhomalgroup.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT


Members are hereby informed that pursuant to the provisions under Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and other applicable rules, laws and regulations, the Company has on 08th April, 2023 completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form to all Members of the Company whose name appeared on Register of Members / List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e., 31st March, 2023. The Postal Ballot Notice are sent (a) through electronic mail, to the members whose email ids are registered with depository participants (DP)/ Registrar/Company; and (b) through physical mode along with self addressed postage prepaid reply Envelope to those members whose email ids are not registered with Company/DP. The Postal Ballot Notice is sent for seeking approval of members of the Company through Postal ballot, for the matters of passing Special Resolutions authorizing the board for alteration of Memorandum of Association for re-classifying the Authorized Share Capital and to offer, issue and allotment of 0% Non-Convertible Redeemable Preference Shares. The following may be noted for this: 1. Members are requested to note that voting will start on 12th April, 2023 at 9.00 A.M. and shall end at 5.00 P.M. on 11th May, 2023. 2. The Board of Directors has appointed Mrs. Sanjana Bhatia, Practicing Company Secretary (ACS No.-52237/COP No.-26350) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process in fair and transparent manner. 3. Members are requested to note that duly completed and signed Postal Ballot form should reach the Company not later than 5.00 P.M. on 11th May, 2023. The members having their email registered with Depository/Company may also send their duly filled postal ballot forms to the Scrutinizer at their email provided in the postal ballot notice. The Postal Ballot Form received after 5:00 P.M on 11th MAY, 2023 will not be considered as valid. 4. Any member who does not receive the postal ballot form may write to the Company to obtain duplicate postal ballot form or the Postal Ballot Notice and Form can also be downloaded from the web-link: www.siddhomalgroup.com. The result of postal Ballot shall be declared by the Managing Director or the person authorized by him on or before 5.00 P.M. on 13th MAY, 2023 at the registered office of the Company and will be placed on same day at www.siddhomalgroup.com. For any queries/grievances relating to voting through Postal Ballot, members can send queries by email on accounts@siddhomalgroup.com or contact number 011-23324245.

By the
order of the board of Directors of
Niryat sam Apparels (India) Limited
Sd/-
Tajender Kumar
Company Secretary

Date: 10.04.2023

Place: New Delhi

Get insights from wherever you are



The ALL-NEW Business Standard App Making Devices Smart, Insight Out.

The Business Standard Morning show
New episodes at 8am, Monday to Friday

Dark mode
Introducing dark mode for easy reading

Go offline
Online. Offline. Anytime. Stay connected, always

Read to me
Listen on the move

Quick reads
For when you don't have time

Dayly market insights
Get detailed analysis and updates on the share market and the company

Download now
from bit.ly/BS_app

Business Standard Insight Out

bsnidia bsnidia business-standard.com

राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण

चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़

सीए नं. 19/2023

तथा

सीपी (सीएए) नं. 4/सीएचबी/एफकारवाई/2023

कंपनी अधिनियम 2013 के विषय में

तथा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 तथा कंपनी अधिनियम 2013

के अन्य प्रावधानों के विषय में

तथा

रोलास्टर प्राइवेट लिमिटेड (प्रथम याचिकादाता कंपनी) अथवा हस्तांतरणकर्ता कंपनी) का रजिस्ट्रार टिडुस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (द्वितीय याचिकादाता कंपनी) अथवा हस्तांतरित कंपनी) तथा उनके संबंधित अंशधारकों के साथ सम्मेलन की योजना के विषय में।

रोलास्टर प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रार टिडुस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

... (प्रथम याचिकादाता कंपनी/हस्तांतरणकर्ता कंपनी) ... (द्वितीय याचिकादाता कंपनी/हस्तांतरित कंपनी)

याचिका की सूचना

रोलास्टर प्राइवेट लिमिटेड, हस्तांतरणकर्ता कंपनी का रजिस्ट्रार टिडुस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हस्तांतरित कंपनी के साथ सम्मेलन की योजना द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत प्रस्तुत एक संयुक्त याचिका के संबंध में 24 अप्रैल 2023 को कंपनी के विषयों पर विचारार्थ माननीय न्यायाधिकरण के सम्मक्ष सुनवाई हेतु चंडीगढ़ पीठ को निर्धारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त याचिका का अनुसमर्थन अथवा विरोध करने का इच्छुक है, वह याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व अपने इच्छा के सूचना अपने अधिकाया द्वारा हस्ताक्षरित करके याचिकादाता के अधिकायाओं को प्रेषित कर दे, साथ ही विवेक के आधारों अथवा शक्यपर की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करनी होगी। याचिका की एक प्रति याचिकादाता के अधिकायाओं द्वारा हस्ताक्षरित करके याचिकादाता को प्रेषित करनी होगी, जो प्रति हेतु निर्धारित शुल्कों के मुताबिक पर उसे प्राप्त करना चाहता है।

रोलास्टर प्राइवेट लिमिटेड के अधिकायागत

(संक्षिप्त खाना) (राजव कपुर)

(पी-113ए/1997) (पी-2687/2011)

दिनांक : 10 अप्रैल 2023

स्थान : दिल्ली शहर

राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण

चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़

सीए नं. 19/2023

तथा

सीपी (सीएए) नं. 4/सीएचबी/एफकारवाई/2023

कंपनी अधिनियम 2013 के विषय में

तथा

रोलास्टर प्राइवेट लिमिटेड (प्रथम याचिकादाता कंपनी) अथवा हस्तांतरणकर्ता कंपनी) का रजिस्ट्रार टिडुस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (द्वितीय याचिकादाता कंपनी) अथवा हस्तांतरित कंपनी) तथा उनके संबंधित अंशधारकों के साथ सम्मेलन की योजना के विषय में।

रोलास्टर प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रार टिडुस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

... (प्रथम याचिकादाता कंपनी/हस्तांतरणकर्ता कंपनी) ... (द्वितीय याचिकादाता कंपनी/हस्तांतरित कंपनी)

याचिका की सूचना

रोलास्टर प्राइवेट लिमिटेड, हस्तांतरणकर्ता कंपनी का रजिस्ट्रार टिडुस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हस्तांतरित कंपनी के साथ सम्मेलन की योजना द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत प्रस्तुत एक संयुक्त याचिका के संबंध में 24 अप्रैल 2023 को कंपनी के विषयों पर विचारार्थ माननीय न्यायाधिकरण के सम्मक्ष सुनवाई हेतु चंडीगढ़ पीठ को निर्धारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त याचिका का अनुसमर्थन अथवा विरोध करने का इच्छुक है, वह याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व अपने इच्छा के सूचना अपने अधिकाया द्वारा हस्ताक्षरित करके याचिकादाता के अधिकायाओं को प्रेषित कर दे, साथ ही विवेक के आधारों अथवा शक्यपर की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करनी होगी। याचिका की एक प्रति याचिकादाता के अधिकायाओं द्वारा हस्ताक्षरित करके याचिकादाता को प्रेषित करनी होगी, जो प्रति हेतु निर्धारित शुल्कों के मुताबिक पर उसे प्राप्त करना चाहता है।

रजिस्ट्रार टिडुस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकायागत

(संक्षिप्त खाना) (राजव कपुर)

(पी-113ए/1997) (पी-2687/2011)

दिनांक : 10 अप्रैल 2023

स्थान : दिल्ली शहर

पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड

(पूर्ववर्ती मैगमा फिनकोर्प लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय: 201 एवं 202, दूसरी मंजिल, एपी81, कोरेगांव पार्क एक्स, मुंबई, पणे-411 036, महाराष्ट्र

कार्यालय इकाई: पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड, 8, संत नगर, ईस्ट ऑफ, दिल्ली-110065

ई-नीलामी

विक्री

सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

(जिसे यहां बाद में "अधिनियम" कहा गया है)

के अधीन प्रत्याभूत अवल संपत्तियों की विक्री

एतद्वारा आमतौर पर सर्वसाधारण तथा विशेष तौर पर कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटीदाताओं को सूचना दी जाती है कि निगमन प्रमाणपत्र के मार्फत मैगमा फिनकोर्प लिमिटेड, अब पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड के नाम से ज्ञात, के पास गिरवी रखी गईं नीचे उल्लिखित संपत्ति, जिस पर कंपनी के संबंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4)/14 के अधीन कब्जा कर लिया गया है, कंपनी की बकाया राशि के साथ लागू ब्याज, शुल्कों तथा लागतों इत्यादि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित नियमों के अनुसार ई-नीलामी के जरिए जिसकी विक्री की जाएगी। प्रतिभूति हित (प्रतिभूति) नियम (जिसे यहां बाद में नियम कहा गया है) के नियम 8 एवं 9 के अधीन निम्नलिखित संपत्ति की जैसे है जहां है, वहां जो है तथा निम्न लिखित दायित्व के आधार पर" विक्री की जाएगी:

1. कर्जदारों/सह-कर्जदार/गारंटीदाता के नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति की प्रकृति	1. ई-नीलामी की तारीख एवं समय	1. आरक्षित मूल्य (लाख में)
2. मांग सूचना की तारीख		2. ईएचबी (बयाना राशि जमा) जमा करने की अंतिम तारीख	2. ईएचबी राशि (लाख में)
3. कुल बकाया + ब्याज		3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तारीख एवं समय	3. आरक्षित मूल्य (लाख में)
विक्री अग्रवाल सुधी अग्रवाल पैरागोन यू प्लॉट 3	विकास अग्रवाल, दूसरी मंजिल, मकान नं.-55, सिडहानी गेट, मोहल्ला छटा, गाजियाबाद, परगना-लोहनी, गाजियाबाद, उ.प्र., गाजियाबाद, पिन-201001 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।	1. ई-नीलामी की तारीख एवं समय 25.04.2023 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक)	1. आरक्षित मूल्य (लाख में): ₹. 15,00,000/- (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
2. सूचना की तारीख: 26/02/2021		2. ईएचबी (बयाना राशि जमा) जमा करने की अंतिम तारीख 24.04.2023 को अपराह्न 5 बजे से पहले	2. ईएचबी राशि (लाख में): ₹. 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
3. अग्रण सं. HL/0245/H/15/00004		3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तारीख एवं समय : 20.04.2023 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक)	

इच्छुक बोलीदाताओं को शाखा तथा नीलामी के लिए रखी जाने वाली सम्पत्ति का निरीक्षण करने तथा शुल्क, अग्रपत्र इत्यादि के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। क्रेता को निजी जांच करनी होगी एवं अतिरिक्त शुल्क, अग्रपत्र तथा तृतीय पक्ष हित के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी एवं सभी मामले के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेना होगा। सम्पत्ति के संबंध में सभी संवैधानिक बकाया राशि यथा सम्पत्ति करों, विद्युत के बकाया तथा अन्य कोई भी बकाया, यदि कोई हो, की जानकारी प्राप्त करनी होगी एवं सफल बोलीदाता/प्रत्याभूत क्रेता को उसका भुगतान करना होगा। बोलीदाताओं/प्रत्याभूत क्रेताओं से बोलियां जमा करने से पहले उक्त सम्पत्ति/संपत्तियों से अपनी हित में संबंधित उपरोक्त तथा सभी प्रासंगिक विषयों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट होने का अनुरोध किया जाता है।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें :

- वेबसाइट <https://123done.in> के जरिए ऊपर उल्लिखित कार्यों में संलग्न तारीख को 5 मिनटों की असीमित विस्तार के साथ ऑनलाइन ई-नीलामी/बोली द्वारा नीलामी/विक्री सम्पन्न की जाएगी।
- इच्छुक बोलीदाताओं को पोलेंड पर स्वयं का पंजीकरण तथा लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड अग्रिम प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है, एवं इस नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स ऑपिओ स्पेस्ट मैनेजमेंट, एच-182, सेक्टर 63, नोएडा 201301, सम्पर्क नं. +91 7428993244/ +91 7428695102/ईमेल आईडी: shekhar.s@cartradeexchange.com से प्राप्त करना होगा। कृपया ध्यान दें कि प्रस्तावित बोलीदातागण सिर्फ उनसे ही ई-नीलामी के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को "पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड" के खाले में, बैंक-आईडीआईआई बैंक लिमिटेड, सीसी खाता नं. 000651000350 तथा आईएफएसडी कोड-आईडीआई0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 के पास एनएफएफटी/आरटीडीएस/डीडी के जरिए एन सी बकानी होगी, जो दिनांक 24.04.2023 को अथवा उससे पहले किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा अर्थात् किसी भी बैंक द्वारा वाहिर तथा अपने नाम <https://123done.in> पर पंजीकरण करण एवं तथा अपने योजर आईडी तथा पासवर्ड मुफ्त में प्राप्त करें एवं सेवा प्रदाता से ई-नीलामी के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के उपरांत इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को अपलोड किए गए नीचे उल्लिखित दस्तावेज की हार्ड कॉपी को स्वयं सत्यापित प्रतिक्रिया प्राप्त कर, ईमेल द्वारा उसे (पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड के संबंधित प्रबंधक) श्री शौलेन्द्र कुमार तिवारी, पता: 8 संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली-110065, मोबाइल नं. [9828737984](tel:9828737984), ई-मेल आईडी: shailendra.tiwari@poonawallaincorp.com के पास भेजना होगा।
- निर्धारित प्रारूप में आवदन दाखिल कर नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई-नीलामी भागीदारी अनिवार्य है, जो प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध है। अपनी बोलियां जमा करने एवं ई-नीलामी विक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें हेतु बोलीदाताओं को वेबसाइट <https://123done.in> देखने की सलाह दी जाती है। यहां ऊपर उल्लिखित विस्तार की वेबसाइट पर ऑनलाइन बोलीदाताओं की जाएगी तथा यह निविदा/ई-नीलामी दस्तावेज में उल्लिखित नियम एवं शर्तें के अनुसार होगी। निविदा दस्तावेज एवं नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट <https://123done.in> से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा उसे (पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड) के संबंधित शाखा कार्यालय से भी संग्रह किया जा सकता है। ऑनलाइन जमा की गई संलग्निकाओं के साथ बोली प्रक्री की प्रतिनिधि (पूटीआर नम्बर के उल्लेख के साथ) पूनावाला फिनकोर्प लि. (पूर्व में मैगमा फिनकोर्प लि.) के संबंधित प्रबंधक के पास जमा करनी होगी। बोली प्रक्री की प्रतिनिधि के साथ ऑनलाइन जमा की गई संलग्निकाएं (पूटीआर नम्बर के उल्लेख के साथ) उक्त उल्लिखित तारीख एवं समय से पहले संबंधित प्रबंधक, श्री शौलेन्द्र कुमार तिवारी, पता: 8 संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली-110065, मोबाइल नं. [9828737984](tel:9828737984), ई-मेल आईडी: shailendra.tiwari@poonawallaincorp.com, पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड (पूर्व में मैगमा फिनकोर्प लि.) में मैगमा फिनकोर्प लि.) के पास भेजना होगा।
- भौतिक विवरण एवं जानकारी के लिए अधिकृत अधिकारी, श्री शौलेन्द्र कुमार तिवारी, मोबाइल [9828737984](tel:9828737984) से सम्पर्क करें। यहां ऊपर उल्लिखित अनुसूची में प्रत्याभूत संपत्तियों के संबंधित विवरण का उल्लेख करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है। इस घोषणा में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा गलती अथवा मूल के लिए अधिकृत अधिकारी किसी भी रूप में जवाबदार/जिम्मेदार नहीं होगा।
- प्रत्याभूत संपत्ति की विक्री आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से एक वृद्धि राशि से शुरू की जाएगी एवं बोलीदातागण न्यूनतम रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की राशि वृद्धि कर स्वयं के बीच अपने प्रस्ताव में सुधार कर बोली लगाने के स्वतंत्र होंगे।
- वैध योजर आईडी एवं पासवर्ड तथा एनएफएफटी/आरटीडीएस के जरिए ईएचबी का भुगतान करने के साक्ष्य रखने वाले बोलीदाताओं को ऑन लाइन ई-नीलामी से भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी या सभी बोलियां को रद्द अथवा स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इससे अलावा अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने से पहले किसी भी समय ई-नीलामी को स्थगित या रद्द या निलम्बित या रोकने अथवा निगम एवं शर्तों में बदलाव करने के भी अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
- अधिकृत अधिकारी के सम्मक्ष अपने प्रस्ताव/बोली/निविदा के साथ सर्वोच्च विक्री मूल्य प्रस्तुत करने वाले क्रेता/बोलीदाता के पक्ष में विक्री की पुष्टी की जाएगी। हालांकि, यह सिर्फ प्रत्याभूत ऋणदाता की पुष्टी पर निर्भर होगा।
- सफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा (ईएचबी) विक्री की रकम के हिस्से के रूप में समायोजित कर दी/रखी जाएगी। ईएचबी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार किए जाने पर सफल बोलीदाता को उसी दिन अथवा अपने कार्यकारी दिवस को विक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले से जमा की गई ईएचबी के समावेष के बाद, जमा करनी होगी। उक्त रकम जमा करने में विफल होने पर अब तक जमा की गई रकम (ईएचबी अथवा अन्य किसी भी रूप में) कंपनी द्वारा जप्त कर ली जाएगी एवं अधिकृत अधिकारी सम्पत्ति को दोबारा विक्री करने के लिए मुक्त होंगे।
- सिर्फ 25 प्रतिशत की राशि जमा करने से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में विक्री की पुष्टी के हकदार नहीं हो पाएंगे। विक्री अधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता की पुष्टी पर निर्भर होगी।
- उपरोक्त नियम के अनुसार 25 प्रतिशत की राशि जमा करने के उपरांत शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 15 दिनों के अंदर अथवा कंपनी के प्रत्याभूत ऋणदाता के विवेक के अनुसार लिखित रूप से तब किए गए निर्धारित समय के अंदर करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त उल्लेखानुसार रकम का भुगतान करने में विफल होने पर बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई रकम जप्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति को पुनः नीलाम की जाएगी एवं विक्रम बोलीदाता के पास सम्पत्ति पर अथवा उसके किसी भी रूप में कोई भी दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- ई-नीलामी की पुष्टी की तारीख से पहले किसी भी समय कर्जदार तथा/अथवा गारंटीदाता द्वारा अथवा उनकी ओर से पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड अथवा पीएफएल (पूर्व में मैगमा फिनकोर्प लि. अथवा पीएफएल) को उनके द्वारा खर्च किए गए सभी लागतों, शुल्कों तथा व्ययों की रकम अथवा उन्हें स्वीकृत उन रकमों के हिस्से की रकम का भुगतान कर दिए जाने पर सम्पत्ति की विक्री रद्द की जा सकती है।
- सिर्फ क्रेता को सभी संबंधित बकाया/परिधारक शुल्क/अथवा बकाया के साथ पंजीन शुल्क, स्टैम्प ड्यूटी, करों इत्यादि का वहन करना होगा।
- जिस नाम पर बोली जमा की गई है उसी नाम पर विक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- अधिकृत अधिकारी अथवा पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड अथवा पीएफएल ई-नीलामी के जरिए विक्री की जाने वाली सम्पत्ति के संबंध में किसी भी तरह के शुल्क, अधिकार, अग्रण अथवा सरकार के प्रति किसी भी तरह के बकाया तथा/अथवा तृतीय पक्ष वाले इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति के संबंध में किसी भी तरह के अग्रपत्र के साथ सम्पत्ति कर के संबंधित देय बकाया राशि, बिजली की बकाया राशि/शुल्क/वैद्य अधिकार इत्यादि यथा देनदारियों/अग्रण अथवा के बारे में स्वतंत्र जांच कराने की सलाह दी जाती है, जिसका वहन सिर्फ क्रेता को करना होगा।
- बोलीदाता को पर्याप्त इंटरनेट की कनेक्टिविटी, विद्युत की व्यवस्था इत्यादि स्वयं करनी होगी। पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड अथवा पीएफएल/अधिकृत अधिकारी/ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता इंटरनेट की खर्ची, बिजली मूल होने के कारण अथवा किसी भी तकनीकी गड़बड़ी अथवा ई-नीलामी की प्रक्रिया में होने वाली रूकावट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- असफल बोलीदाता को ईएचबी दिना किसी ब्याज के नीलामी विक्री की प्रक्रिया के समाप्त होने के 15 कार्यकारी दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी। इस संबंध में उक्त बोलीदाता किसी भी प्रकृति का कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं।
- भलीभांति तरीके से नहीं परे गए प्रस्ताव/बोलियां अथवा ईएचबी या आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं रहने पर अथवा नीलामी विक्री की सूचना में निर्धारित तारीख एवं समय के उपरांत प्राप्त प्रस्तावों/बोलियों को अवैध माना जाएगा तथा उसे तत्काल रद्द कर दिया जाएगा तथा आवेदक/बोलीदाता इस संबंध में पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड (पूर्व में मैगमा फिनकोर्प लिमिटेड के नाम से ज्ञात) अथवा अधिकृत अधिकारी के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकते हैं।
- अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। इस तरह के निर्णय के संबंध में कंपनी अथवा अधिकृत अधिकारी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकता है।
- इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी प्रक्रिया में सम्पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के अनुसार भाग लेना होगा तथा पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड/पीएफएल (पूर्व में मैगमा फिनकोर्प लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के निर्णयों के दबाव एवं प्रभाव में नहीं आना होगा तथा वे इस ई-नीलामी के परिणाम से सम्पूर्ण रूप से अवगत हैं। इस संबंध में इच्छुक बोलीदाता को पीएफएल/पीएफएल अथवा उनके अधिकृत अधिकारी से कोई सहायता प्राप्त नहीं करना होगा एवं उक्त रकम पर ब्याज से संबंधित अथवा यहां ऊपर उल्लिखित व्योरे को छोड़कर जमा वापस पाने के हकदार नहीं होंगे।
- ईएचबी जमा एवं ई-नीलामी की तारीख को छुट्टी का दिन घोषित होने पर संबंधित तारीख स्वतः अगले कार्यकारी दिवस में रूपांतरित कर दी जाएगी।

सर्वसही अधिनियम 2002 के अधीन 15 दिनों की संवैधानिक सूचना

कर्जदार/गारंटीदाता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तारीख से पहले ऊपर उल्लिखित रकम के साथ बर्तमान तारीख तक ब्याज एवं आनुषंगिक व्यय का भुगतान कर दें। अन्यथा प्रत्याभूत आस्तियां/सम्पत्ति की नीलामी/विक्री कर दी जाएगी तथा बकाया रकम, अगर कोई हो तो, आपसे ब्याज सहित उसे वसूला जाएगा।

अधिकृत अधिकारी

पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड

(पूर्व में मैगमा फिनकोर्प लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

कच्चा सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रस्तुत हित (प्रवर्तन) निगमनियों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** (पूर्ववर्ती जनसमी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी ने कर्जदार(ओं) /सह-कर्जदार(ओं) को **मांग सूचनाएं** जारी की थी जिसमें कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में यथाउल्लिखित लागू दरो से ब्याज सहित संबंधित नामों के लिए उल्लिखित राशि को भुगतान और /या वसूली की तारीख तक ब्याजलाभ भविष्य की ब्याज, वहन प्रासासिक मूल्य, लागतों, प्रभारों आदि के साथ उक्त सूचना प्राप्त की तारीख से **60 दिनों** के अंदर अदा करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	अग्रण सं.	कर्जदार /सह-कर्जदार/जमानती/बैंककर्ता	15(2) सूचना की तारीख/कच्चा दस्तावे (रु. में) तारीख	कच्चे की तारीख/समय कच्चे का प्रकार
1	30688240000096	1) श्री संजय गिरि, पुत्र श्री महेश्वर गिरि (आवेदक), 2) श्रीमती रेखा पत्नी श्री संजय गिरि (सह-आवेदक)	08.12.2022 ₹. 2,54,647/- (रुपये दो लाख चौवन हजार छह सौ सैतलौस मात्र) दिनांक 08.12.2022 को	दिनांक: 07.04.2023 समय: अप. 01:02 संकेतिक कच्चा

प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण: बैंक अवल संपत्ति – अनुसूचित संपत्ति – संपत्ति का विवरण: श्रीमती रेखा, पत्नी श्री संजय गिरि द्वारा स्थापित खसरा नं. 1342/2, आराम पार्क, निकट खन्ना नगर, लोनी देहात, लोनी परगना, तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102। सीमाएं- पूर्व- अग्रजित शशीक, पश्चिम- अन्य संपत्ति अनौष, उत्तर- गली 10 फुट, दक्षिण- गली 14 फुट

जबकि यहाँ ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बैंककर्ताओं के देय राशि भुगतान करने में असफल रह